राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड फोन नं. : 0141-2227884, ई-मेल : rujpr_xcntc@rediffmail.com

5

क्रमांक : एफ 4( ) पराविं/पीसी/साफ-सफाई/2015/ 272 जयपुर, दिनांक : 5/11/15

:: परिपत्र संख्या 1 /2015 ::

भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुनिश्चित किये जाने हेतु विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओ के दिशा-निर्देशों में भी स्वच्छता संबंधी गतिविधियो का प्रावधान प्रमुखता से किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा राज्य के सभी जिलो को दिनाक 31.03.2018 तक खुले में शौच से मुक्ति की घोषणा की गई है।

स्वच्छता एवं सफाई कार्य से संबंधित विभिन्न गतिविधियां एवं दरें तय करने के लिये ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2015 (भाग-1) के निर्देश संख्या-9.6 के अन्तर्गत "जिला स्तरीय दर निर्णायक समिति" के गठन का प्रावधान किया गया है। यह समिति निर्माण कार्यो से संबंधित समस्त आईटम्स की बीएसआर के निर्धारण हेतु अधिकृत है किन्तु स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिए कोई बीएसआर प्रचलन में नही होने के कारण जिला स्तरीय दर निर्णायक समिति को इस कार्य हेतु अधिकृत किया जाता है।

जिला स्तरीय दर निर्णायक समिति द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु सफाई कार्यों की दरें, प्रक्रिया, साफ सफाई का अन्तराल एवं भुगतान की अवधि एवं अन्य शर्तें निर्धारित की जावेंगी एवं इसकी मासिक रूप से समीक्षा की जावेगी जिला स्तरीय दर निर्णायक समिति की बैठक में जिले की नगर पालिका/परिषद/निगम के प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाये एवं ग्रामीण परिपेक्ष्य को ध्यान में रखते हुये ही दरों का निर्धारण किया जाये।

सफाई कार्यो की दरें, प्रक्रिया, साफ सफाई का अन्तराल, मापन की विधि एवं भुगतान की अवधि एवं अन्य शर्तो की सूचना विभाग को प्रेषित की जावे। यह व्यवस्था एक वर्ष के लिये लागू होगी। इसके पश्चात् निर्धारित दरें, प्रक्रिया की समीक्षा करने के उपरान्त विभाग द्वारा इसे एक समान रूप से लागू करने बाबत आदेश जारी किये जायेंगे। यह भी निर्देशित किया जाता हैं कि इस कार्य हेतु ग्राम पंचायत द्वारा स्थाई कार्मिको की नियुक्ति अनुमत नहीं होगी। निर्धारित की जाने वाली दरो की सूची, प्रक्रिया एवं अन्य विवरण मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(आनन्द कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. जिला कलक्टर, समस्त।
6. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
8. आदेश पत्रावली।

5/11
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता